संख्या- 112 /2019/2160/24-1-19-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर,2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1290/ अधि0नि0 (वित्त) /निधि-।।/ आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3790,00,00,000/- (रूपये तीन हजार सात सौ नब्बें करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-।, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 270,00,00,000/- (रूपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 640,00,00,000/- (रूपये छ: सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी0सी0-।, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 3150,00,00,000/- (रूपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 260,00,00,000/- (रूपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ नब्बें करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 289,00,00,000/- (रूपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- पुन: स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 1767,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 2023,00,00,000/- (रूपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1723,00,00,000/- (रूपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 245,00,00,000/- (रूपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 253,00,00,000/- (रूपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: शासनादेश संख्या- 106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2312,00,00,000/- (रूपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1478,00,00,000/- (रूपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 1178,00,00,000/- (रूपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 195,00,00,000/- (रूपये एक सौ पंचान्नबें करोड़ मात्र) की पॉच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रूपये 203,00,00,000/- (रूपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 2807,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रूपये 983,00,00,000/- (रूपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 533,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रूपये 175,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रूपये 183,00,00,000/- (रूपये एक सौ तिरासी करोड़

http://shasanadesh.up.nic.in

मात्र) को माह जनवरी, 2020 में तृतीय किश्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 285 /दस-2019, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

संख्या- 112 /2019/2160(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in